



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक: एफ.40(1)आरबी/2012/2103
दिनांक 08 मार्च, 2019

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.40(1)आरबी/2012/7087 दिनांक 14.10.2015 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) एवं प्रो-वाईस चांसलर, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक अस्थाई व्यवस्था हेतु कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया था।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2012 की धारा 11(1) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।


अतः मैं, कल्याण सिंह, कुलाधिपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2012 की धारा 11 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह पर श्री एन. रविन्द्र कुमार रेड्डी, प्रो-वाईस चांसलर, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को नियमित कुलपति की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता०

(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक: एफ40(1)आरबी/2012/2104-2109 दिनांक: 08 मार्च, 2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्री भूपेन्द्र सिंह, आई.पी.एस., कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. श्री रविन्द्र कुमार रेड्डी, प्रो-वाइस चांसलर, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।


प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा
o/c